न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 110/2011

उनवान

1. धन्नी पत्नी भवंरलाल पुत्रवधु हीरा जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा, नसीराबाद **(तर्क)**
2. नारायण
3. रामचन्दर
4. गोपाल
5. भगचन्द पुत्रगण भंवरलाल पौत्र हीरा
6. नंगी पुत्री भंवरलाल पौत्री हीरा समस्त जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा, नसीराबाद

——— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र रामरतन जाति राठी निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद,
2. दिलीप कुमार पुत्र रामरतन जाति राठी हाल निवासी तिरूपती एग्रोपम्प ट्रेक्टर सावर रोड, केकडी, अजमेर
3. ज्ञानचन्द उर्फ ज्ञानी पुत्र रामरतन जातिराठी हाल नि0 तिरूपती एग्रोपम्प ट्रेक्टर सावर रोड, केकडी, अजमेर
4. रोहित पुत्र रामरतन जाति राठी हाल निवासी ग्राम तिरूपती एग्रोपम्प ट्रेक्टर सावर रोड, केकडी, अजमेर
5. राधा पुत्री रामरतन जाति माहेश्वरी हाल निवासी सेक्टर नम्बर 12 मकान नम्बर 43 जामनगर, गुजरात
6. उषा पत्नी शिवनारायण मंत्री जाति माहेश्वरी पुत्री रामरतन निवासी सापला वाया केकडी, अजमेर
7. पुष्पा पत्नी गोपाल जाति माहेश्वरी पुत्री रामरतन निवासी माहेश्वरी भवान के सामने, शारदा भवन सरवाड, अजमेर
8. उप पंजीयक, नसीराबाद
9. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 4, 6 से 7 जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
8 व 9 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.11 15:40:46 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

-: निर्णय :- दिनांक :- 21.9.22

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर तहसील नसीराबाद की निम्न आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है।

वंर्किग ख0न0	हाल ख0न0	रकबा
1406	6261	0.14
1406	6262	0.16
1407	6263	0.37
1420	6269	0.22
1415	6273	0.45
1414	6274	0.46
1420	6279/8247	0.22
1418	6280	0.44
1411	6268	0.26

आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है। उक्त आराजी के खातेदार हीरा पुत्र लाला व भंवरलाल पुत्र हीरा जाति रावत राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिनका स्वर्गवास हो गया है तथा वादीगण ही वारिस के रूप में बिना किसी दखल काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजी मुतनाजा जमाबंदी में हीरा पुत्र लाला व भंवरलाल पुत्र हीरा जाति रावत के नाम दर्ज है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता रामरतन पुत्र हीरालाल के नाम राहिन दर्ज है। जिसे नामान्तकरण संख्या 264 दिनांक 14.11.77 के अनुसार रहन मुक्त की जाकर वंर्किग जमाबंदी में रहन मुक्त की गयी है। किन्तु वर्तमान राजस्व अभिलेख में भूप्रबंध विभाग ने उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता रामरतन पुत्र हीरालाल जाति माहेश्वरी के नाम दर्ज कर दी। वादीगण के पूर्वज गरीब कृषक थे जिन्होने प्रतिवादीगण के पिता रामरतन से कर्ज राशि लेकर भूमि रहन रखी थी। इस हेतु दिनांक रामरतन के पक्ष में दिनांक 29.12.71 को गिरवी हेतु दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया। वादीगण के पूर्वज ने प्रतिवादीगण के पिता से ली कर्ज राशि का भूगतान कर तहरीर इकरारनामा दिनांक 25.5.1977 को निष्पादित किया गया। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त इन्द्राज गैर कानूनी तरीके से किये जाने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। तथा भूमि को अन्यत्र बैचान करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाज का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 से 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित तथ्य मिथ्या व गलत होने से अस्वीकार है। उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी की नही है। भूमि प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय रामरतन पुत्र हीरालाल की है। आराजी मुतनाजा का बैचान हीरा पुत्र लाला व भंवरलाल पुत्र हीरा जाति रावत ने पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादीगण के पिता को कर दिया था। विक्रय दिनांक [illegible] वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण द्वारा [illegible] रहन मुक्त व इकरारनामें के तथ्य मिथ्या है। अतः वादीगण का वाद सव्यय खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.11 15:40:46 IST
Reason: SelfAttested

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में वाद पत्र व जवाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति व स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. आया दावाकृत आराजी प्रतिवादीगण की कयशुदा होने से वाद खारिज योग्य है ?

—— वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में नारायण, नाथा व छोटू का शपथ पत्र पेश किया। व राजस्व अभिलेख पेश किये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रकरण में ज्ञानचन्द का शपथ पत्र पेश किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 1411 रकबा 1–12–10 हीरा पुत्र लाला के नाम खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 1069 दिनांक 22.6.89 द्वारा जरिये बैचान उक्त आराजी रामरतन पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज हुयी है। वंर्किग खसरा नम्बर 1414 व 1415 हीरा पुत्र लाला के नाम दर्ज है जो कि रामरतन पुत्र हीरालाल के नाम रहन दर्ज है। तथा नामान्तकरण संख्या 1070 दिनांक 22.6.69 से जरिये बैचान रामरतन पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज हुयी है। इसी प्रकार वंर्किग खसरा नम्बर 1418 व 1420 भंवरा पुत्र हीरा के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि रामरतन पुत्र हीरालाल के नाम रहन दर्ज है। उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 268 से रहन मुक्त व नामान्तकरण संख्या 1069/22.6.69 से जरियें बैचान रामरतन पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज हुयी है। वंर्किग खसरा नम्बर 1406 व 1407 भंवरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज है। जो नामान्तकरण संख्या 1069/22.6.69 से जरियें बैचान रामरतन पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज हुयी है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 29.12.71 के अनुसार हीरा पुत्र लाला व भंवरलाल पुत्र हीरा ने उक्त आराजी का बैचान रामरतन पुत्र हीरालाल को कर दिया था। वादीगण का कथन है कि उनके पूर्वज द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान प्रतिवादीगण के पिता को नही किया था बल्कि उनके पूर्वज द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता के पास रहन रखी गयी थी। जिसके समर्थन में उनके द्वारा इकरारनामा वापसी बैचान भी पेश किया है उक्त इकरारनामें के अनुसार आराजी मुतनाजा का विकय दिनांक 29.12.71 को किया गया जिसका पुनः विकय प्रतिवादीगण के पिता रामरतन पुत्र हीरालाल द्वारा वादीगण के पूर्वज को किया गया तथा प्रतिफल राशि भी पुनः प्राप्त करना इकरारनामे में अंकित किया है। किन्तु उक्तइकरारनामा अपंजीकृत है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय को प्रकरण में निर्णय कराने का अधिकार नही है। वादीगण के पूर्वज द्वारा प्रतिवादीगण के पिता को उक्त आराजी का बैचान जरिये प[illegible] पत्र किया है। पंजीकृत विकय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सक[illegible] विकय पत्र आज दिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही किया गया है। [illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 11 न्यायालय तहसीलदार अजमेर का [illegible] भी पेश किया है। जिसके अनुसार रामरतन द्वारा कय की गयी आ[illegible] को नही दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.11 15:40:46 IST
Reason: SelfAttested

पुनः विक्रय करने का दस्तावेज भी पेश किया है। उक्त दस्तावेज में बैचान को मेलाफाइड मानते हुये रहन दर्ज करने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश में पंजीकृत दस्तावेज को रहननामा बताया गया है किन्तु तहसीलदार को पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर निर्णय/आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नही है। उक्त समस्त राजस्व अभिलेख व दस्तावेज के अनुसार आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज थी उक्त आराजी को वादीगण के पूर्वज द्वारा प्रतिवादीगण के पिता को विक्रय कर दी वादीगण के पूर्वज द्वारा प्रतिवादीगण के पिता के नाम उक्त आराजी का बैचाननामा कर दिये जाने के कारण भूमि के बैचान का नामान्तकरण प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज कर दिया हाल राजस्व अभिलेख में उक्त बैचान पत्र के आधार पर आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के पिता के नाम अंकित कर दी गयी है। अतः दावाकृत सम्पदा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 6261/0.14, 6262/0.16, 6263/0.37, 6269/0.22, 6273/0.45, 6274/0.46, 6280/0.44, 6268/0.26 व 6279/8247 रकबा 0.22 पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.11 16:40:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इक्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

धन्नी बनाम राजेश

दावा बाबत :– 88, 91, 92ए, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 110/2011
पेश करने की दिनांक – 15.06.11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई कैलाश बीजावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 6261/0.14, 6262/0.16, 6263/0.37, 6269/0.22, 6273/0.45, 6274/0.46, 6280/0.44, 6268/0.26 व 6279/8247 रकबा 0.22 पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 09 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.11 16:40:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद